



राजस्थान-सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं० : 0141-2223326

ई-मेल: directoraid-ri

क्रमांक: एफ04( )एमएनजेवाई/न्यायालय/2018-19/401

दिनांक : 20.9.18  
अति-महत्वपूर्ण

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
राजस्थान।

विषय:- मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अन्तर्गत जारी दिशा निर्देश क्रमांक 40 दिनांक 18.03.2013 एवं क्रमांक 2588 दिनांक 4.06.2013 को विद्दो (withdraw) करने के समबन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत D.B. civil writ. no 13296/2018 श्री नरेन्द्र कुमार, writ no 13280/2018 श्री गब्बर सिंह मीणा, writ no 12936/2018 श्री कुलदीप शर्मा, writ no 14944/2018 श्री दशरथ सिंह चारण व अन्य बनाम राज० सरकार के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 19.07.2018 की पालना में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अन्तर्गत जारी दिशा निर्देश क्रमांक 40 दिनांक 18.03.2013 एवं क्रमांक 2588 दिनांक 4.06.2013 को तुरन्त प्रभाव से विद्दो (withdraw) किया जाता है।

निदेशक (जन स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक :

क्रमांक: एफ04( )एमएनजेवाई/न्यायालय/2018-19/  
प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वि० एवं स्वा० विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव चि० एवं स्वा० विभाग, एवं एमडी एनएचएम जयपुर।
3. उपशासन सचिव चि० एवं स्वा० विभाग ग्रुप-3।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा०) चि० एवं स्वा० सेवायें, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक जोन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अति० महाधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
8. उपनिदेशक प्रशासन एवं केस प्रभारी मुख्यालय।
9. उपविधि परामर्शी मुख्यालय।
10. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

20/9/18  
निदेशक (एड्स)  
एवं नोडल अधिकारी  
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

पत्र 28/2

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: 40

दिनांक: 18.3.13

दिशा निर्देश

आदेश क्रमांक 737 दिनांक 01.03.2013 को प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा उपकरण एवं श्रम शक्ति को आऊट सोर्स करने हेतु प्रदान किए गए निर्देशों में बिन्दु संख्या 16 में मेन पावर के प्रति विजिट कन्सल्टेशन भुगतान के बारे में निर्देश प्रदान किए गये हैं। कई स्थानों पर उपयुक्त मेनपावर(रिकोगनाईज डिग्री) उपलब्ध नहीं होने के कारण निम्नलिखित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. जिन संस्थानों पर मेनपावर की निविदा जारी करने के पश्चात् भी उपयुक्त मेनपावर(रिकोगनाईज डिग्री) लैब टेक्निशियन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ अनुभव प्राप्त, न्यूनतम सैकण्डरी एवं लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमाधारी (9 माह प्रशिक्षण) को श्रम विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.5(6)न्यू.वै./श्रम/2002/पार्ट जयपुर, दिनांक: 6.8.2012 के अनुसार नियोजन अभिकरण (प्लेसमेंट एजेंसी) के माध्यम से उच्च कुशल श्रेणी में रखते हुए सहायक लैब टेक्निशियन के रूप में लिए जा सकता है जो कि वरिष्ठ लैब टेक्निशियन के सुपरविजन में कार्य सम्पादन करेंगे।
2. जिन संस्थानों पर मेनपावर की निविदा जारी करने के पश्चात् भी उपयुक्त मेनपावर(रिकोगनाईज डिग्री) रेडियोग्राफर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी को श्रम विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.5(6)न्यू.वै./श्रम/2002/पार्ट जयपुर, दिनांक: 6.8.2012 के अनुसार नियोजन अभिकरण (प्लेसमेंट एजेंसी) के माध्यम से कुशल श्रेणी/उच्च कुशल श्रेणी(उपलब्धता के आधार पर) में रखते हुए सहायक रेडियोग्राफर के रूप में लिए जा सकता है जो कि वरिष्ठ रेडियोग्राफर के सुपरविजन में कार्य सम्पादन करेंगे।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:

दिनांक:

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रो महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक जैन, राजस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर



मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

एफ 04( )एमएनजेवाई/2013/2588

दिनांक 04/06/2013

दिशा निर्देश

आदेश क्रमांक 2528 दिनांक 30.05.2013 के द्वारा उपकरण एवं श्रम शक्ति को आऊट सोर्स करने हेतु प्रदान किए गए निर्देशों में बिन्दु संख्या 17 में मेन पावर के प्रति विजिट कन्सल्टेशन भुगतान के बारे में निर्देश प्रदान किए गये हैं। कई स्थानों पर उपयुक्त मेनपावर(रिकोगनाईज डिग्री) उपलब्ध नहीं होने के कारण निम्नलिखित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. जिन संस्थानों पर मेनपावर की निविदा जारी करने के पश्चात् भी उपयुक्त मेनपावर(रिकोगनाईज डिग्री) लैब टेक्निशियन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ अनुभव प्राप्त, न्यूनतम सैकण्डरी एवं लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमाधारी (1 वर्ष या 9 माह प्रशिक्षण) को श्रम विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.5(6)न्यूवे/श्रम/2002/पार्ट जयपुर, दिनांक: 6.8.2012 के अनुसार नियोजन अभिकरण (प्लेसमेंट एजेंसी) के माध्यम से उच्च कुशल श्रेणी में रखते हुए सहायक लैब टेक्निशियन के रूप में लिए जा सकता है जो कि वरिष्ठ लैब टेक्निशियन के सुपरविजन में कार्य सम्पादन करेंगे।
2. जिन संस्थानों पर मेनपावर की निविदा जारी करने के पश्चात् भी उपयुक्त मेनपावर(रिकोगनाईज डिग्री) रेडियोग्राफर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ अनुभव प्राप्त, डिप्लोमाधारी को श्रम विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.5(6)न्यूवे/श्रम/2002/पार्ट जयपुर, दिनांक: 6.8.2012 के अनुसार नियोजन अभिकरण (प्लेसमेंट एजेंसी) के माध्यम से कुशल श्रेणी/उच्च कुशल श्रेणी(उपलब्धता के आधार पर) में रखते हुए सहायक रेडियोग्राफर के रूप में लिए जा सकता है जो कि वरिष्ठ रेडियोग्राफर के सुपरविजन में कार्य सम्पादन करेंगे।

निदेशक (जन स्वा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक

एफ 04( )एमएनजेवाई/2013/

1. निजी सचिव, सा० मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा०) राजस्थान, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, एमएनजेवाई, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, राजस्थान।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त प्रभारी सामु० स्वा० केन्द्र, राजस्थान।
10. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राजस्थान, जयपुर